<u>न्यायालय</u>— शरद जोशी, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला</u> बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 205/2018 आर.सी.टी. कं. 192/18 संस्थापन दिनांक—12.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

नानुराम पिता डोंगरसिंह उम्र 30 साल, निवासी डाबरपुरा बरूफाटक थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 12.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त **नानुराम पिता डोंगरसिंह** के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 17.02.2018 को समय 15:00 बजे, स्थान—बघाडी रोड बरूफाटक पर आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना 15 क्वाटर देशी शराब रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 17.02.2018 को मूखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति बघाडी रोड तरफ से अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान प्रदीप पिता लक्ष्मीनारायण व सम्भू पिता पूनमचंद को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर मूखबिर के बताये स्थान के पास पहुंचे। थोडी देर बाद एक व्यक्ति बघाडी रोड तरफ से एक झोले में शराब लेकर आ रहा था, जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम नानुराम पिता

| \sim | | |
|--------|-----|--|
| ान | ਹਰਹ | |

आप.प्र.क. 205 / 2018 आर.सी.टी.कं. 192 / 18 संस्थापन दिनांक 12.05.2018

डोंगरसिंह का होना बताया। अभियुक्त नानुराम पिता डोंगरसिंह के पास मिले झोले को

चेक करते उसके अंदर 15 क्वाटर देशी शराब होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त नानुराम पिता डोंगरसिंह का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष अभियुक्त नानुराम पिता डोंगरसिंह के कब्जे से 15 क्वाटर देशी शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाने के अप0 क0 56/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त नानुराम पिता डोंगरसिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्त नानुराम पिता डोंगरसिंह ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 15 क्वाटर देशी शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। 05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/— रू के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भूगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा 15 क्वाटर देशी शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

टंकित किया गया।

मेरे निर्देशन व बोलने पर

सही / -

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बड़वानी म०प्र0 (शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडुवानी म0प्र0